FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0087 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/04/2026 14:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 22/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 18:17 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/04/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/04/2026 14:12:07 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 15 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KANJI SWEETS SIKAR ROAD, JAIPUR KE PASS GALI ME

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUNIL KUMAR SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KISHAN SHARMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RAMPURA, CHARKHI DAADRI, चरखी दादरी, हरियाणा, INDIA
2	स्थायी पता	RAMPURA, CHARKHI DAADRI, चरखी दादरी, हरियाणा, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJKARAN		पिता:HARI SINGH	1. GADARWAS POST DALANWAS,सतनाली,महेंद्रगढ़, हरियाणा,INDIA
2	SANATAN SONI		पिता:BABULAL SONI	1. PWD GEST HOUSE KE PASS,SHRIMADHOPUR,SIKAR, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 18.11.2025 को श्री सुरेश स्वामी पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष एक व्यक्ति आया, जिसने अपना नाम श्री सुनील कुमार पुत्र श्री किशन शर्मा निवासी गांव रामपुरा तहसील चरखी दादरी जिला चरखी दादरी हरियाणा बताया तथा एक हस्तलिखित शुदा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत कि सेवा मे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपूर नगर चतुर्थ जयपूर विषय रिश्वत लेने वाले को पकडवाने के लिय निवेदन है की मै ट्रासपोर्ट का कार्य करता हू मेरे ट्रक न0 एचआर61 ई7952 दिनांक 28/8/25 का पुलिस थाना विधायकपुरी में ड्राइवर शराब पीने के कारण 185 मे बंद कर दिया था। इसकी मुझे जानकारी नहीं होने पर मैने जीपीएस से ट्रक का मालूम किया तो ट्रक विधायकपुर थाने से 700 मीटर दूर रोड पर खडे था मैने सोचा कि ड्राईवर ने शराब मे नशे मे ट्रक छोडकर चला गया तो मै ट्रक लेकर फरिदाबाद से लदाख में माल खली कर दिया रास्ते मे पूलसी थाना विधायकपुरी से फोन आय कहा की ये ट्रक एचआर 61 ई7952 दारा 185 में बंद है आप कसे लेये गये तो मने अनको कहा की ट्रक बंद हान के बारे मे कोई सूचन नही दीय गय थी काफी दिन होने से माल फरिदाबाद व लदाख पूचान है तो पूलिस विदायपुरी ने दिनांक 15.09.2025 को ट्रक विदायपूरी थाने में लेकर आ गया तो थाने मेरे से रिसवत के पसे मागे मेने रिसवत के पेसे देने से मना किए तो इनने मरे व मेरे भाई अनिल शर्मा के किलाफ मुकदमा नमः 197/25 दरज कर लीय मुझे गीरफ्ता कर लिया मुकदमें की जाच श्री रामकरण हेड साब कर रहेह श्रीरामकरण जी मेरे भाई अनिल का नाम हटाने व गीरफतार नहीं करने के लिय मरे से 500000 की माग कर रहे है मे श्री रामकरण जी हेड साब को रिसवत के पेसे नही देने चाहता हू मे उमनो रिसवत लेते हूय पकडवाना चाहता हू मेरा रामकरण जी से कोई रजीस नही हे यथा नही कोई लेन देन बाकी है श्री रामरण जी हेड साबा के खीलाफ कानुनी करने की कृपा करे दिनांक 18.11.2025 प्रार्थी एसडी सुनील कुमार पुत्र श्री किशन शर्मा निवासी गांव रामपुरा तहसील चरखी दादरी जिला चरखी दादरी हरियाणा मो. न. इसके पश्चात उप अधीक्षक पुलिस के द्वारा श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक को बुलाया जाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी श्री सुनील कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व उसके प्रार्थना पत्र के स्वयं कक्ष में लेकर आये तथा श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुनील द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र के साथ पुलिस थाना विधायकुपरी जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 197/25 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की। परिवादी श्री सुनील शर्मा से मजीद दरियाप्त की गई तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद हुई तथा परिवादी ने बताया कि मेरे ट्रांसपोर्ट का नाम पुना दिल्ली रोडवेज है जिसका कार्यालय धारूहेडा हरियाणा तथा पुना महाराष्ट्र में है धारूहेडा में मेरा भाई श्री अनिल शर्मा बैठता है तथा मै पुना महराष्ट्र में बैठता हू। ट्रक नम्बर एचआर 61ई 7952 मेरे नाम से है। उक्त ट्रक का ड्राईवर श्री सतपाल पुत्र श्री रामकुमार निवासी मकान नम्बर 571 मालवीय नगर सोनीपत हरियाणा का है। मेरे पास आये हुऐ 10 ही दिन हुऐ थे। मेरे इस ट्रक मे पुना से स्क्रैप और घर का सामान भरा था। जिसको दिनांक 28.08.2025 पुलिस थाना विधायकपुरी जयपुर में 185 में बंद कर दिया था। इसकी मुझे जानकारी नहीं थी । इसके बाद 5-6 दिन में मेरा ट्रक लेह व फरिदाबाद नही पहुचने पर मैने जीपीएस से मालूम किया तो मेरे ट्रक की लोकेशन जयपुर आई। जिस पर मै व मेरा ड्राईवर शैकुल खान को लेकर आया तो मेरा ट्रक रोड पर खडा था। मुझे यह जानकारी नहीं थी कि इसके पास विधायकपुरी पुलिस थाना भी है। मैने सोचा कि मेरा ड्राईवर शराब पीकर छोडकर चला गया होगा। इस पर मैने मेरे ट्रक को चालक श्री शैकुल खान को आगे माल छोडने के लिए भेज दिया, उस समय रात्रि के 2-3 बज रहे थे। इसके पश्चात अगले दिन पुलिस थाना विधायकपुरी जयपुर से मेरे पास फोन आया कि आपने ट्रक नम्बर एचआर 61ई 7952 लेकर क्यो गये, उक्त ट्रक तो पुलिस थाना विधायकपुरी में बंद है। इस पर मैने कहा कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है, आप द्वारा वाहन मालिक को इसके बारे मे क्यो नहीं बताया। मैने पुलिस थाना विधायकपुरी वालो को कहा कि मैने सोचा मेरे ड्राईवर ने शराब पीकर ट्रक को छोडकर चला गया होगा। मुझे जहां ट्रक खडा था उसके आस पास पुलिस थाना नहीं दिखा तथा मुझे मेरे पहले वाले ड्राईवर श्री सतपाल ने भी नहीं बताया। इसके पश्चात पुलिस वालो ने कहा कि ट्रक लेकर जयपुर आओ तो मैने कहा कि अभी तो माल खाली करने के लिए लेह लद्ाख गया है आने पर आ जाउंगा। इसके पश्चात पुलिस थाना विधायकपुरी से दो तीन बार मेरे भाई श्री अनिल के मोबाईल नम्बर व्हाटसअप नम्बर कॉल कर धमकाया तथा भाई से रिश्वत के पैसे भी मांगे। जब हमने देने से मना कर दिया, तो उन्होने मेरे व मेरे भाई अनिल शर्मा के खिलाफ पुलिस थाना

विधायकपुरी में मुकदमा नम्बर 195/2025 धारा 303(2) बीएनएस 2023 दर्ज कर लिया। इसके बाद मै दिनांक 15.09.2025 को ट्रक लेकर जयपुर आया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे मुकदमे की जांच श्री राजकरण कर रहे है इसने मेरे से 5 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करी तथा कहा कि अगर पांच लाख रूपये दे दोगे तो मै तुम्हे गिरफ्तार नहीं करूंगा। इस पर मैने मना किया तो इसने मुझे व श्री शैकुल खान को गिरफ्तार कर लिया तथा मेरा ट्रक जब्त कर लिया। इसके पश्चात जयपुर में मेरी कोई जानकारी नहीं होने पर मैने श्री राजकरण जी से वकील के बारे में पूछा तो इन्होने मुझे श्री सनातन सोनी के बारे में बताया। इसके पश्चात मैने श्री सनातन सोनी से 15000 रूपये फीस की वार्ता कर इनको दिलवा दिया। मेरी व श्री शैकुल की जमानत दिनांक 17.09.2025 को हो गई। इसके अगले दिन ट्रक भी कोर्ट से छुडवा दिया। इसके पश्चात मै पुलिस थाना विधायकपुरी गया तो वहां पर श्री राजकरण हैड साहब ने मुझे मेरे भाई को छोडने के लिए पांच लाख रूपये मांगे। इस पर मैने मना किया तो मेरे से 1 लाख रूपये की मांग की। मैने मना कर दिया। इसके पश्चात श्री राजकरण ने मेरे भाई अनिल शर्मा के व्हाटसप नम्बर ’ पर कॉल कर धमकाया तथा मेरे भाई अनिल से 01 लाख रूपये रिश्वत की मांग करी । इसके पश्चात मैने वकील श्री सतपाल से वार्ता की तो उसने कहा कि श्री राजकरण जी से मैने बात की है उसने कहा कि अनिल शर्मा को बचाने के लिए 30,000 रूपये मे सहमत हो गया है। इस पर मै आज आया हू। मेरा श्री राजकरण हैड साहब व श्री सनातन सोनी से कोई लेन देन शेष नहीं है तथा न ही कोई बकाया राशि है। प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों एवं मजीद दरियाप्त से मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग करना पाया जाता है। जिसके लिए परिवादी से संदिग्ध कर्मचारी से रिष्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना है। इस पर मांग सत्यापन संबंधी कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिए गया। परिवादी श्री सुनील कुमार ने बताया कि आज श्री राजकरण हैड कानि नहीं मिलेगा। अन्य जब भी मेरे पास फोन आयेगा, तब मै आपको अवगत करा दूंगा। परिवादी के बतायेनुसार मांग सत्यापन की कार्यवाही आईन्दा करने का निर्णय लिया। श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर गोपनीयता बनाये रखने के लिए कहा जाकर रूखस्त किया। दिनांक 19.12.2025 को श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष परिवादी श्री सुनील कुमार ने बताया कि श्री राजकरण हैड साहब व श्री सनातन सोनी का मेरे पास बार बार फोन आ रहा है। मैने उनसे बात नहीं की है। वो मेरे से मेरे भाई का मुकदमें में नाम हटाने के लिए रिश्वत राशि की मांग करेंगे। इस पर श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को सोमवार दिनांक 22.12.2025 को एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये। दिनांक 22.12.2025 को परिवादी श्री सुनील कुमार उपस्थित आया तथा श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि श्री सनातन सोनी एडवोकेट का मेरे पास फोन आया, जिसने बताया कि श्री राजकरण हैड कानि बार बार मुझे फोन कर रहा है तथा मेरे से पैसे मांग रहा है। इसलिए मै आज मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा सकता हू। परिवादी के बतायेनुसार मांग सत्यापन की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा हैड कानि. अशोक कुमार को कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर परिवादी श्री सुनील शर्मा से परिचय करवाया गया तथा हैड कानि. श्री अशोक कुमार से कार्यालय की अलमारी में से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर खाली होना सुनिश्चित किया एवं नया मेमोरी कार्ड 32 जीबी DAICHI कम्पनी निकलवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु व बन्द करने की प्रकिया समझाइस कर परिवादी व श्री अशोक कुमार हैड कानि को मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के बाद मुनासिब हिदायत के कार्यालय से रवाना किया गया तथा बाद कार्यवाही डिजिटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखने के निर्देश दिये। दिनांक 23.12.2025 को परिवादी श्री सुनील कुमार भी उपस्थित आया। श्री अशोक कुमार हैड कानि ने श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक को कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकालकर सुपुर्द किया तथा बताया कि कल दिनांक 22.12.2025 को मै व परिवादी एसीबी कार्यालय से सरकारी मोटरसाईकिल से समय करीब 05.10 पीएम पर रवाना होकर समय करीब 05.47 पीएम पर कानजी स्वीटस सीकर रोड जयपुर पहुचे, जहां पर मैने परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर समय करीब 05.49 पीएम पर दे दिया, परिवादी के रवाना होने पर मै भी पीछे पीछे जाकर गोपनीयता से मुकिम हुआ। परिवादी एक व्यक्ति जो सफेद शर्ट पहना था उससे बात कर रहा था। कुछ समय पश्चात परिवादी वहां से रवाना हुआ, मै भी उसके पीछे गया। थोडी दूर चलने के बाद परिवादी ने समय करीब 06.17 पीएम पर मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बंद अवस्था मे देने पर मैने अपने पास रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी श्री सनातन सोनी से बात हो गई है, उसने श्री राजकरण जी के लिए 30,000 रूपये की मांग कर 25000 रूपये में सहमत हो गये है। तत्पश्चात परिवादी श्री सुनील कुमार से पूछने पर श्री अशोक कुमार हैड कानि की बातों की ताईद करते हुऐ बताया कि श्री अशोक कुमार हैड ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर मुझे दे दिया, मै रवाना होकर वकील साहब श्री सनातन सोनी के पास गया तथा श्री अशोक कुमार जी मेरे पीछे पीछे आकर थोडी दूर पहले रूक गये। मेरी वकील श्री सनातन सोनी से बात हो गई उसने मेरे से श्री राजकरण हैड साहब के लिए 30 हजार रूपये की मांग की है तथा मेरे द्वारा कम करने के लिए कहने पर श्री सनातन सोनी ने हजार दो हजार रूपये कम कर देने के लिए कहा तथा श्री सनातन सोनी एडवोकेट ने स्वयं के मोबाईल नम्बर से श्री राजकरण जी हैड साहब से फोन का लाउड स्पीकर ऑन कर मेरी बात करवाई तो श्री राजकरण जी ने कहा कि वकील साहब करेंगे वो ही फाईनल। इसके पश्चात श्री सनातन सोनी ने पांच हजार रूपये कम करने के लिए श्री राजकरण जी को बोला तो श्री राजकरण जी के द्वारा सहमति दी गई। श्री सनातन सोनी

एडवोकेट मेरे भाई का नाम चार्जशीट में से हटाने के लिए 25,000 रूपये की रिश्वत राशि श्री राजकरण जी हैड साहब को देने हेतु मेरे से लेने के लिए सहमत हो गये। इसके पश्चात मै रवाना हो गया जहां पर श्री अशोक कुमार जी मिले जिनको मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बंद कर दे दिया। जिन्होने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को अपने पास रख लिया। इसके पश्चात हम दोनो रवाना होकर समय करीब 07.15 पीएम पर एसीबी कार्यालय आ गये। इसके पश्चात श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सर सरी तौर पर सुना तो परिवादी के द्वारा कही बातो की ताईद हुई तथा परिवादी के वकील श्री सनातन सोनी के द्वारा श्री राजकरण हैड कानि के लिए 25,000 रूपये की रिश्वत की मांग करना पाया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी अलमारी में सुरक्षित रख दिया। श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक को पूर्व में पाबन्द स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के निर्देश दिये। इस समय पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल सिंह व श्री रामकिशोर मीणा उपस्थित कार्यालय आये। स्वतंत्र गवाहान को श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री विशाल सिंह शेखावत हाल सीनियर अस्सिटेन्ट आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर व दुसरे ने अपना नाम श्री रामकिशोर मीणा हाल सीनियर अस्सिटेन्ट आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर होना बताया। परिवादी श्री सुनील कुमार व स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल सिंह व श्री रामकिशोर मीणा से आपस में परिचय करवाया तथा इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से टै्रप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिखाये व पढवाये जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सुनील कुमार व स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल सिंह व श्री रामकिशोर मीणा की उपस्थिति में परिवादी श्री सुनील कुमार व आरोपी सनातन सोनी के मध्य दिनांक 22.11.2025 को हुई मांग सत्यापन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया जो कार्यालय की आलमारी से निकालकर कार्यालय के लैपटॉप से जोडकर सुना जाकर पूर्व में तैयार ट्रांसक्रिप्ट से मिलान करवाया गया, वार्ताओ को सुनकर परिवादी श्री सुनील कुमार ने अपनी आवाज एवं दुसरी आवाज आरोपी श्री सनातन सोनी की पहचान की तथा रिकॉर्ड वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु कार्यालय से 05 डीवीडी मंगवायी जाकर डीवीडी खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमेरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं की 05 डीवीडी में बर्न/अपलोड कर तैयार की जाकर 05 डीवीडी में वाईस क्लिप होना सुनिश्चित कर डीवीडी पर क्रमशः मार्क A-1, A -2 व A -3, A -4, A-5 अंकित किया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तीन डीवीडी मार्क A -1 व A -2, A-3 को अलग-अलग प्लास्टिक के डीवीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। डीवीडी मार्क A -4, A -5 खुली रखी गई। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मांग सत्यापन के दौरान उपयोग में लिये गये मेमोरी कार्ड 32 जीबी DAICHI कम्पनी को मार्क SD अंकित किया जाकर मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जप्त किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 4.30 पीएम पर श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सुनील कुमार को संदिग्धअधिकारी श्री राजकरण हैड कानि पुलिस थाना विधायकपुरी के लिए श्री सनातन सोनी एडवोकेट को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मु्रदा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल राशि 25,000/-रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा पेशशुदा नोटो को स्वतंत्र गवाहान को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाकर, नम्बरों का मिलान गवाहान से करवाया गया। इसके पश्चात श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने श्री प्रदीप शर्मा कानि न 245 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर कमरे में रखी टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच-पांच सौ रूपये के 50 नोटों कुल 25,000 रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री प्रदीप शर्मा कानि न 245 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया तथा एक साफ अखबार मंगवाया जाकर उस पर 25,000/- रूपये के नम्बरी नोटो को रखकर भली-भांति से लगवाया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री सुनील कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विशाल सिंह से लिवायी गयी, परिवादी के पास कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोबाईल फोन छोडा गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही मिली। इसके बाद प्रदीप शर्मा कानि न 245 भ्रनिब्यूरो जयपुर नगर तृतीय जयपुर से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगे हुए 25,000/- रूपये के नोटों परिवादी सुनील कुमार के पहने हुऐ खाकी कलर के कोट की बॉये साईड की जेब में रखवाये गये तथा उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया व श्री प्रदीप शर्मा कानि न 245 भ्रनिब्यूरो जयपुर नगर तृतीय जयपुर से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया तथा श्री प्रदीप शर्मा कानि न 245 भ्रनिब्यूरो जयपुर नगर तृतीय जयपुर को कार्यालय में ही छोडा गया। इसके पश्चात समय 05.00 पीएम पर श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने श्री अशोक हैड 54 के साथ परिवादी श्री सुनील कुमार शर्मा सरकारी मोटरसाईकिल से तथा अन्य सरकारी

वाहन श्री आलोक एएसआई श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक न 09,श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्री उदय कानि न 170, श्री अजय कानि न 190 श्री विशाल सिंह व श्री रामकिशोर मीणा मय लैपटॉप प्रिन्टर मय टै्रप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ चौमू पुलिया सीकर रोड जयपुर पहुॅचने के निर्देश दिये तथा श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक के साथ सरकारी वाहन में श्री सुरेश स्वामी उप अधीक्षक पुलिस, श्री ओमप्रकाश कानि न 438, श्री विशाल बाछल वरिष्ठ लिपिक व महिला कानि श्रीमती पूजा लाम्बा चौमू पुलिया सीकर रोड जयपुर के लिए रवाना हुए। इस समय श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के समय करीब 05.40 पीएम पर चौमू पुलिया सीकर रोड जयपुर पहुचा तथा श्री अशोक हैड 54 के साथ परिवादी श्री सुनील कुमार शर्मा सरकारी मोटरसाईकिल से तथा अन्य सरकारी वाहन श्री आलोक एएसआई श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक न 09,श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्री उदय कानि न 170, श्री अजय कानि न 190, श्री विशाल सिंह व श्री रामकिशोर मीणा भी उपस्थित मिले। श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने वाहनों को साईड में खडा करवाया। तत्पश्चात श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि मेरी रास्ते में समय करीब 05.22 पीएम पर मेरे मोबाईल नम्बर से संदिग्ध श्री सनातन सोनी एडवोकेट के मोबाईल नम्बर पर जरिये व्हाटसअप वार्ता हुई, तो संदिग्ध श्री सनातन सोनी ने कहा कि मै अभी बाहर हू, बाद में करता हू। इसके पश्चात पुनः समय करीब 06.10 पीएम पर श्री सनातन सोनी से वार्ता हुई तो उन्होने कहा कि मै आज बाहर हू, तू मेरे मोबाईल पर फोन-पे कर दे, इस पर मैने कहा कि मेरे अकाउन्ट में पैसे नहीं है। मै नगद ही दूंगा, तो सनानत सोनी ने कहा कि तेरी इच्छा हो वैसे कर आदि वार्ता होने के पश्चात फोन कट हो गया। परिवादी की हुई वार्ता के अनुसार आज टै्रप कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। इस पर श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अलग अलग वाहनों से एसीबी कार्यालय के लिए रवाना हुऐ। समय 07.10 पीएम पर श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान व स्वतंत्र गवाहान व परिवादी तथा अन्य जाप्ता अन्य वाहन के उपस्थित कार्यालय आये था तथा कार्यालय में उपस्थित श्री प्रदीप कानि से परिवादी के पास रखी रिश्वती राशि 25000 रूपये को निकालकर एक लिफाफे में रखकर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया एवं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को भी कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा। अब टै्रप कार्यवाही की कोई सम्भावना नहीं होने पर परिवादी को आईन्दा उपस्थित होने के निर्देश दिये जाकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत दी जाकर रूखस्त किया। दिनांक 30.12.2025 को परिवादी श्री सुनील कुमार ने श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि श्री सनातन सोनी का मेरे पास फोन आ रहा है तथा वो मुझे श्री राजकरण हैड कानि को 25000 रूपये की रिश्वती राशि देने के लिए बुला रहा है। जिस पर श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को कल दिनांक 31.12.2025 को कार्यालय उपस्थित होने की हिदायत दी गई। दिनांक 31.12.2025 को परिवादी श्री सुनील कुमार उपस्थित आया तथा श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने संदिग्ध श्री सनातन सोनी एडवोकेट का फोन आने के इन्तजार करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 01.01.2026 को परिवादी श्री सुनील कुमार उपस्थित आया। इस पर श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से संदिग्ध श्री सनातन सोनी एडवोकेट को फोन करने के लिए कहा तो परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर से संदिग्ध श्री सनातन सोनी एडवोकेट के मोबाईल नम्बर. पर जरिये व्हाटसअप वार्ता की तो श्री सनातन सोनी ने जयपुर से बाहर सीकर होना बताया तथा आने के लिए पूछने पर बताया कि आज तो नहीं आउंगा तथा कोर्ट में तारीख 09.01.2026 को आने के लिए कहा। जिस पर श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को दिनांक 08.01.2026 को आने के लिए व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखस्त किया। श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक को दुरसंचार विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जाने पर उक्त टै्रप कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक के जिम्मे की गई। दिनांक 23.01.2026 को परिवादी श्री सुनील कुमार उपस्थित आया तथा उसको मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम सुनील कुमार पुत्र श्री किशन शर्मा निवासी गांव रामपुरा तहसील चरखी दादरी जिला चरखी दादरी हरियाणा होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित बातों की ताईद की। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा अग्रिम कार्यवाही स्वय के द्वारा करना बताया। इस पर परिवादी ने बताया कि मेरी आज कोर्ट में तारीख होने पर मै सीधा ही कोर्ट चला गया, वहां पर मेरी सनातन सोनी से बात हुई तो उसने कहा कि मै तो केवल कोर्ट का कार्य करूंगा तथा बाकी कार्य श्री रामकरण जी के द्वारा ही करना बताया। इसके अलावा कोई बात नहीं की। इसके पश्चात मैने मेरे मोबाईल नम्बर से श्री रामकरण जी से बात की तो उसने फोन उठाकर काट दिया। अब श्री रामकरण जी व श्री सनातन सोनी मेरे से रिश्वत की राशि नहीं लेंगे। इसके पश्चात परिवादी ने प्रस्तु की गई रिश्वती राशि 25000 रूपये लौटाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसका अवलोकन कर परिवादी को 25000 रूपये लौटाये गये। उक्त टै्रप कार्यवाही में दिनांक 22.12.2025 को परिवादी श्री सुनील कुमार व आरोपी श्री रामकरण मुख्य आरक्षक न. 648 व श्री सनातन सोनी एडवोकेट (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य वार्ता हुई जिसकी दिनांक 23.12.2025 को फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई, जिसमें परिवादी सुनील कुमार कहता है कि राजकरण जी से, ना मेरी उससे कोई दुश्मनी है, आप बता दो आरोपी सनातन सोनी कहता है कि अस्पष्ट मैने तो आप से ये इतना जरूर कहा था कि आज जब दो रूपये खर्च करोगे आप, मै उसमें सारा ही काम सिढ बिढ करवा देता परिवादी कहता है कि हु आरोपी सनातन सोनी कहता है कि लेकिन वोई है जब आप ने कहा कि साब कोई है हमारा यहां, जैसी आपकी ईच्छा, अब मेरे पास मैसेज आया, वो मैसेज कर दिया आप ने कहा ये पूछो मैने पूछ लिय परिवादी

सुनील कुमार कहता है कि कुछ कम ज्यादा आरोपी सनातन सोनी कहता है कि क्या होगा, अब मानलो हमारी सेवा है वो जन सेवा है आपके लिये तो परिवादी कहता है कि आपका तो इसमें कुछ नहीं है, अब तो आरोपी सनातन सोनी कहता है कि नहीं, स्टाफ का आपका काम होगा उसमें एक रूपये का काम नहीं है। न तो अपने को कोई लेना न देना परिवादी कहता है कि अच्छा तो आरोपी सनातन सोनी कहता है कि ये मानलो आपकी तरफ से मेरी तरफ से ये फोकट की पैरवी है परिवादी कहता है कि अच्छा आरोपी सनातन सोनी कहता है कि " मैने उस दिन आपसे ये ही कहा था कि दोनो भाईयों के 11 हजार लुंगा तो 11 हजार ही मैने लिये हैं, आपसे ये नहीं कहा कि साब मेरे को 100 रू कम दो या 200 रूपये मेरे को ज्यादा देओ, ये भी नहीं कहा कि आपकी चाय के चाय भी मेरे को पिलाई है मै नहीं कहता, अपणा इससे भाई जब मेरे को पता है कि मेरे पांच रूपये खर्च हो रहे है और पांच रूपये मेरे बच रहे है तो मै पांच रूपये का सतुष्टी आदमी हू परिवादी कहता है कि भाई आपका तो 11 बने, मैने दे दिया था आरोपी सनातन सोनी कहता है कि मै आपको क्या कह रहा हूं मैने 11 ही बोले थे 11 के आपको 11 के 100 रूपये उपर नहीं किये, आपको ये भी नहीं कहा कि मेरे को 500 कम देके जाओं क्योकि मेरे को पता है कि पांच रूपये का खर्च भी उसी में है, मेहनत मे कोई कमी हो तो बता दो परिवादी कहता है कि नहीं आपकी मेहनत में आरोपी सनातन सोनी कहता है कि अपन ये जानते है मेहनत में कमी अपन छोडते नहीं है बाकि देखो सामने वाले का, उपर वाले का तकदीर परिवादी कहता है कि हूं आरोपी सनातन सोनी कहता है कि आप क्या देना चाहते हो ये बताओ मेरे को मोटी-मोटी बात तो परिवादी कहता है कि देखो जी मै तो यह कह रहा हूं कम से कम सल्टा दो अस्पष्ट आरोपी सनातन सोनी कहता है कि अगले ने लास्ट स्टेज बताई है तो परिवादी कहता है कि हु आरोपी सनातन सोनी कहता है कि समझ गये मेरी बात, उसमें हजार दो हजार रूपये कम देने हो तो कम दे दो अपन तो पकडा देगे हाथ में, भाई ये आया है, इती सी बात है। परिवादी कहता है कि तो तीस से कुछ कम ज्यादा नहीं हो जाये क्याआरोपी सनातन सोनी कहता है कि " हजार दो हजार कम ज्यादा मानलो और क्या होगा'परिवादी कहता है कि "उसी को तो पैसे दे रहा हु उसी का तो पैसे दे रहा हु तथा परिवादी कहता है कि उससे मै बात करना चाहता हू कि राजकरण जी माफी दो, जो भी है वो एक बार क्लीयर करवा दो भई वो बीस में माने, तीस में माने, पन्द्रह मे माने, वो आप मनवा दो, मैं वो पैसा देनदार हूं आपको, मै गलत तो नहीं बोल रहा हू आपको, भई देखो भाई का कसूर भी नही था, फिर भी मै कसुर दण्ड भर रहा हूं, लेकिन वो गंदा आदमी है कि वो मानता नही है, कल को मुझे अन्दर कर दिया था कल को फिर भाई को अन्दर नहीं करदे' आरोपी सनातन सोनी कहता है कि " मै लिख के दे रहा हूं आपको'परिवादी कहता है कि " मै ये कह रहा हूं जी वो गन्दा आदमी है। मानेगा नहीं'तथा परिवादी कहता है कि चलो जी फाईनल करवादो कितने मै मनगी मै देके आपना फ्री करूंगा इसके पश्चात परिवादी आरोपी सनातन सोनी से श्री राजकरण मुख्य आरक्षक से बात करवाने के लिए बोलता है, जिस पर आरोपी सनातन सोनी के द्वारा स्वयं के फोन का स्पीकर ऑन कर श्री राजकरण मुख्य आरक्षक से फोन लगाकर बात करता है तथा सनातन सोनी राजकरण मुख्य आरक्षक को कहता है कि ये सुनील जी आये है भाई साहब लो एक बार बात करेंगे आप से तत्पश्चात आरोपी सनातन सोनी स्वयं के फोन से परिवादी सुनील की फोन पर बात करवाता है जिस पर परिवादी सुनील कहता है कि अब आप बताओं जी क्या कह रहे हो वकील साब ने बुलाये है हमें तो आरोपी राजकरण मुख्य आरक्षक कहता है कि वकील बता रहा है तो जो बता रहा है वो जायज ही बता रहा है परिवादी कहता है कि साब करलो कुछ दया दृष्टी हम भी गरीब आदमी है चक्कर काफी काट लिये हमने भी तो राजकरण कहता है कि हां तो परिवादी कहता है कि हमने भी काफी चक्कर काट लिये राजकरण जी कुछ हमारी तरफ भी देख लो तो आरोपी राजकरण कहता है कि तेरे भाई को ये नही पता कि पुलिस को तुमने क्या लिखके दिया था एप्लीकेशन में परिवादी कहता है कि अच्छा अच्छा वो तो छोडो जी तथा बीच में आरोपी सनातन सोनी बोलता है कि आदेश'परिवादी कहता है कि अब अब आप आदेश करो आरोपी राजकरण कहता है कि आदेश तो परिवादी कहता है कि हा जी तो आरोपी राजकरण कहता है कि सोनी जी बता देंगे पूछ ले, ठीक है परिवादी कहता है कि नहीं सोनी जी तो बता रहे है एक बार आप बताओगे तभी बात, आरोपी राजकरण कहता है कि तेरे जचे तो ठीक है नहीं तेरे जचे तो ठीक है और नहीं जचे तो ठीक है तो आरोपी सनातन सोनी परिवादी से फोन लेकर कहता है कि अरे सून आप ने कहा था उसमें मै पांच हजार रूपये कम कर रहा हू मेरी तरफ से दट्स ऑल तो आरोपी राजकरण कहता है कि ठीक है कर ले, कर ले ये जो तो परिवादी सुनील कहता है कि टोटल कितना करना स तो आरोपी सनातन सोनी कहता है कि तीस बोले थे तीस के पांच कम कर दिये मैने, नहीं तो मै ढाई कर देता पांच कम कर दिये फिर परिवादी सुनील कुमार बोलता है तब आरोपी राजकरण ने फोन कट कर दिया। इसके पश्चात आरोपी सनातन सोनी परिवादी को कहता है कि अब आप है तो आप की इच्छा है, इन्होने मेरे को तीस बताये थे पांच मैने कम कर दिये वो ही पच्चीस उसको देने है अब आप की इच्छा हो तो मान लेना तो परिवादी कहता है कि अच्छा तो आरोपी सनातन सोनी कहता है कि मेरा काम है की आप मेरे को पांच रूपये देके जा रहे हो आपके भाई की चार्जशीट से नाम कट जाय, आप दोनो की चार्जशीट पेश हो जायेगी, चार्जशीट अपने आप में परिपूर्ण प्रमाण है आप के भाई का वहा कोई पार्ट नही रहेगा ये काम आपको मेरे से करवाना है और मेरे को ये काम करना है परिवादी कहता है कि वो तो सारे समय येही बोल देता है कि वकील साहब से बात कर लो मेरा उसी को दे दो आरोपी सनातन सोनी कहता है कि और मै क्या कह रहा हुं आपको यार अब आप ये कहोगे की मै उसके हाथ में पकडाके आउंगा परिवादी कहता है कि ना ना तो आरोपी सनातन सोनी कहता है कि तो वो भाई साब आज लेगा ना कल लेगा परिवादी कहता है कि नंही तो आरोपी

सनातन सोनी कहता है कि अब मेरी तो आपसे है, है तब तो दे जाओ, जब तो दो दिन हैं मेरे पास कल और परसों, मैं कल चार्जशीट कटाके परसों पेश करवा दुंगा आदि वार्ता होती है। उक्त वार्ताओं से स्पष्ट होता है कि आरोपी सनातन सोनी के द्वारा परिवादी को यह कह जाता है कि आप तो मुझे पैसे दे जाओ मै कल ही चार्जशीट कोर्ट में पेश करवा दूंगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी राजकरण मुख्य आरक्षक न. 648 के द्वारा आरोपी श्री सनातन सोनी एडवोकेट के मार्फत परिवादी सुनील कुमार से उसके भाई का नाम प्रकरण मे से हटाने तथा चार्जशीट पेश करने के लिए 30,000 रूपये की मांग कर 25,000 रूपये में सहमत होते है। अब तक की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता व तथ्यों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पाया गया कि आरोपी श्री राजकरण पुत्र श्री हरि सिंह उम्र 54 साल निवासी गांव गादडवास पोस्ट डालनवास पुलिस थाना सतनाली जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल मुख्य आरक्षक नम्बर 648 पुलिस थाना विधायकपुरी आयुक्तालय जयपुर के द्वारा एक लोकसेवक होते हुऐ अपनी पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री सुनील कुमार व उसके भाई अनिल शर्मा के विरूद्व पुलिस थाना विधायकपुरी में दर्ज प्रकरण संख्या 197/2025 में परिवादी के भाई श्री अनिल शर्मा का नाम हटाने व चार्जशीट पेश करने की एवज में वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने की मंशा से आरोपी श्री राजकरण मुख्य आरक्षक न. 648 के द्वारा श्री सनातन सोनी प्राईवेट व्यक्ति/एडवोकेट से मिलिभगत कर परिवादी से दिनांक दिनांक 22.12.2025 को मांग सत्यापन के दौरान 30,000 रूपये की मांग कर 25,000 रूपये में सहमत होना पाये जाने से आरोपी श्री राजकरण मुख्य आरक्षक न. 648 का उक्त कृत्य धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 में एवं श्री सनातन सोनी प्राईवेट व्यक्ति/एडवोकेट का उक्त कृत्य धारा 7a व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध करना प्रथम दृष्टया पाये जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित है। (रामजीलाल) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामजीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपी श्री राजकरण पुत्र श्री हरि सिंह उम्र 54 साल निवासी गांव गादडवास पोस्ट डालनवास पुलिस थाना सतनाली जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल मुख्य आरक्षक नम्बर 648 पुलिस थाना विधायकपुरी आयुक्तालय जयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 में एवं आरोपी श्री सनातन सोनी पुत्र श्री बाबूलाल सोनी उम्र 51 साल निवासी पीडब्लूडी गेस्ट हाउस के पास श्रीमाधोपहुर सीकर प्राईवेट व्यक्ति (वकील) के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री छोटी लाल मीना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 105 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 587-90 दिनांक 01.04.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1 जयपुर 2- पुलिस़ उपायुक्त-दक्षिण, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर आयुक्तालय 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chhotee Lal Meena **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/04/2026 14:19:30

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1972				
2	Male	1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)